(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 06/2023-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, आइटम (ie) में, कॉलम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात्: -

"व्याख्या -यह मद तालिका के क्रम संख्या 3 के विरुद्ध मद (iv), (v) और (vi) के उन उप-मदों को वैसे संदर्भित करता है जैसे अधिसूचना संख्या 03/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से निरस्त होने से पहले अधिसूचना में मौजूद थे।";

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, कॉलम (5) के अंतर्गत प्रविष्टियों में, शर्त (2) में, -

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों " उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक", के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) चौथे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते यह भी कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मकैनिज्म के तहत वापसी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है ।”;

(iii) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) में उप-खंड (ज) को हटा दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक V में,

(i) पैरा 2 में, शब्दों "वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है" के स्थान पर, शब्द और आंकड़े "वित्तीय वर्ष की शुरुआत जिसके लिए मैं नियत तारीख से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूं", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट के नोट में, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है " के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा, अर्थात्: -

“**<u>अनुलग्नक VI</u>**

<u>प्रपत्र</u>

<u>किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र ।</u>

<u>संदर्भ संख्या -</u>

तारीख: -

1. मैं/हम___________________ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स........................ का अधिकृत प्रतिनिधि वित्तीय वर्ष _____________ के दौरान अनुलग्नक V (दिनांक____________) को भरकर , हमारे द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज मकैनिज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था । ;

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वित्तीय वर्ष ..... के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र पर वापस लौटना चाहता हूं;

3. मैं समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद इसे एक वर्ष के भीतर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है ।

कानूनी नाम: -
जीएसटीआईएन:-
पैन नंबर
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
जीटीए का पूरा पता:
(क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)
नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा ।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी- 190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 09 मई, 2023, जिसे सा.का.नि.348 (अ), दिनांक 09 मई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।